ग्राम पंचायत चगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व कार्य सचिवरत थे:-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती कान्ता देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री बीर सिंह	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री योग राज	01.04.2014 से लगतार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत चगांव के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	दुकान किराये की वसूली न करना	2.23
2	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.62
3	7	मोबाईल टावर शुल्क प्राप्त न करना	0.15
4	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	9.71
5	9	भण्डारण प्रविष्टियां न करना	10.24
6	10	मजदूरी का अधिक भुगतान	0.04

7	11	निर्माण कार्यों से सम्बंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	40.37

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.11.2017 से 25.11.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/15, 9/15, 3/17 तथा 9/14, 5/15 व 8/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1-4-2014 से 31-3-17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र०, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: फिन(एल.ए.)एस.आर.के./60 दिनांक 23.11.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शाखा टापरी के ड्राफ्ट संख्या: 101059 दिनांक 24.11.2017 के अंतर्गत यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. शिमला-171009 को प्रेषित की गई है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत चगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका निधि वार विवरण निम्न पैरा **4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 व 4.7** पर तथा माह वार आय-व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – क, ख, ग, घ, ड., च तथा छ** पर दिया गया है :-

संकलित वितीय स्थिति :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	4542769.50	4172280.00	8715049.50	3976574.50	4738475.00
2015-	4738475.0	5888845.5	10627320.5	6106961.0	4520359.50

16	0	0	0	0	
2016-17	4520359.50	11826584.28	16346943.78	7464582.50	8882361.28

4.1 अनुदान तथा स्व: स्त्रौत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	3901710.00	1975150.00	5876860	2131723.50	3745136.50
2015-16	3745136.50	2062567.50	5807704	1730825.00	4076879.00
2016-17	4076879.00	2940833.00	7017712	2430952.00	4586760.00

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष :**₹4586760.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 26110100007 में जमा राशि:- **₹3427762.00**

3) दिनांक 31.03.2017 को हि. प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 26110100032 में जमा राशि :- **₹1158998.00**

अन्तर : शून्य

4.2 मनरेगा :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	2587.50	980847.00	983434.50	973058.00	10376.50
2015-16	10376.50	3214637.00	3225013.50	3222913.00	2100.50
2016-17	2100.50	3674982.00	3677082.50	3677082.50	शून्य

4.3 आइ. ए. वाइ. एण्ड आर. ए. वाइ. (IAY & RAY) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	291773	369046	660819	318750	342069
2015-16	342069	114501	456570	274750	181820
2016-17	181820	71096	252916	168570	84346

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹84346.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 261SBI00027 में जमा राशि: - **₹84346.00**

अन्तर : शून्य

4.4 तेरहवां एवं चौदहवां वित आयोग (13th & 14th FC) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	6430.00	691701.00	698131.00	125625.00	572506.00
2015-16	572506.00	57164.00	629670.00	458369.00	171301.00
2016-17	171301.00	1392373.28	1563674.28	445679.00	1117995.28

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹1117995.28**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 6348 में जमा राशि: - **₹1117995.28**

अन्तर : शून्य

4.5 लाडा (LADA) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	2884	117	3001	-	3001
2015-16	3001	121	3122	-	3122
2016-17	3122	3744210	3747332	708599	3038733

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष :**₹3038733.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 26110108234 में जमा राशि: - **₹3038733.00**

अन्तर : शून्य

4.6 आइ. ड्ब्ब्लयू. एम. पी.(IWMP) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	205978	136255	342233	287614	54619
2015-16	54619	439334	493953	420104	73849
2016-17	73849	2592	76441	33700	42741

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹42741.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या:

26110110933 में जमा राशि: - ₹ **42741.00**

अन्तर : शून्य

4.7 हरयाली(HARYALI) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	131407	19164	150571	139804	10767
2015-16	10767	521	11288	-	11288
2016-17	11288	498	11786	-	11786

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹11786.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 6294 में जमा राशि: - **₹11786.00**

अन्तर : शून्य

5 दुकान किराये के ₹2.23 लाख वसूली हेतु शेष:-

स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा दुकान किराये का किरायेदार वार मांग एवं प्राप्ति का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण किरायेदार वार कुल देय एवं प्राप्त किराये की जांच नहीं की जा सकी इसके अतिरिक्त विभिन्न किरायेदारों से किये गये संविदा को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप दुकान आबंटन की तिथि व माहवार प्राप्त होने वाले वास्तविक किराये का आंकलन नहीं किया जा सका परन्तु सम्बंधित सचिव द्वारा कुल वार्षिक प्राप्ति के आधार पर अन्य अभिलेख से तैयार व अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना की जांच से पाया गया कि अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक दुकान किराये की आंशिक वसूली की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः दुकान किराये से प्राप्त होने वाली आय का आबंटन की तिथि से किरायेदार वार तथा माहवार मांग व प्राप्ति का अभिलेख तैयार किया जाये तथा भविष्य में संविदा की शर्तों के अनुरूप किराये की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक दुकान किराये के रूप में ₹223460 की वसूली शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये :-

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	-	201480	201480	194400	7080
2015-16	7080	201480	208560	108640	99920
2016-17	99920	201480	301400	77940	223460

6 पंचायत राजस्व ₹0.62 लाख वसूली हेतु शेष :-

स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर/सम्पतिकर की मांग एवं प्राप्ति का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था परन्तु

सम्बंधित सचिव द्वारा अन्य अभिलेख अर्थात रोकड़ बही तथा परिवार रजिस्टर के आधार पर तैयार व उपलब्ध करवाई सूचना से विदित हुआ कि अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक गृहकर/सम्पतिकर की वसूली नहीं की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाये व भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक गृहकर के रूप में ₹61700 पंचायत के राजस्व की वसूली शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये :-

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	-	12340	12340	-	12340
2015-16	12340	18510	30850	-	30850
2016-17	30850	30850	61700	-	61700

7 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.15 लाख का वसूली हेतु शेष :-

मोबाईल टावर शुल्क सम्बंधित आय की जांच में पाया गया कि पंचायत एरिया में एयरटैल कम्पनी के तीन तथा रिलांयस कम्पनी का एक टावर स्थापित है लेकिन पंचायत द्वारा इससे प्राप्त होने वाले वार्षिक शुल्क का मांग एवं प्राप्ति का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था और न ही टावर की स्थापना की तिथि व अन्य सम्बंधित शर्तों का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिससे टावर शुल्क के रूप में देय व प्राप्त होने वाली राशि का सही आंकलन सम्भव नहीं हो पाया परन्तु सचिव द्वारा अन्य अभिलेख के आधार पर तैयार व उपलब्ध करवाई सूचना से विदित हुआ कि अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक ₹2500 की वार्षिक दर से रिलांयस कम्पनी से तीन वर्ष का शुल्क ₹7500 (2500x1x3) व एयरटैल कम्पनी से वर्ष 2014-15 का शुल्क ₹7500/- (2500x3x1) प्राप्त नहीं किया गया था जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः मोबाईल टावर शुल्क की मांग व वसूली का अपेक्षित अभिलेख वास्तविक स्थापना की तिथि से तैयार किया जाये तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा भविष्य में प्रतिवर्ष मोबाईल टावर शुल्क की वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक मोबाईल टावर शुल्क के रूप में ₹15000 की वसूली शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये :-

वर्ष	अथशेष (एयरटैल + रिलांयस)	अपेक्षित प्राप्ति (एयरटैल + रिलांयस)	योग (एयरटैल + रिलांयस)	प्राप्ति (एयरटैल + रिलांयस)	वसूली हेतु शेष राशि (एयरटैल + रिलांयस)
2014-15	-	10000 (7500+2500)	10000 (7500+2500)	-	10000 (7500+2500)
2015-16	10000 (7500+2500)	10000 (7500+2500)	20000 (15000+5000)	7500 (7500+0)	12500 (7500+5000)
2016-17	12500 (7500+5000)	10000 (7500+2500)	22500 (15000+7500)	7500 (7500+0)	15000 (7500+7500)

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹9.71 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) में स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिक्ताएं प्रावधित हैं । व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-ज की पाद टिप्पणी-1"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹970981 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात निविदाएं आमंत्रित किये बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

9 क्रय सामग्री ₹10.24 लाख की भण्डारण प्रविष्टियां न करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय किये गये स्टॉक/स्टोर की भण्डारण प्रविष्टियां किया जाना अपेक्षित हैं । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण मे पाया गया कि **"परिशिष्ट–ज की पाद टिप्पणी-2"** में दिये गये विवरणानुसार ₹1024027 के क्रय की गईं विविध वस्तुओं की भंडारण प्रविष्टियां नहीं की गईं जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का रख-रखाव नियमानुसार न होने के करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का लेखा- जोखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाये ।

10 मजदूरी के रूप में ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान :

जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹3825 का अधिक भुगतान विभिन्न व्यक्तियों को वास्तविक उपस्थिति के दिनों से अधिक दिनों के लिये मजदूरी के रूप में किया गया जो कि पूर्णत: अनियमित व आपतिजनक है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके पंचायत निधि में जमा किया जाये :-

दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	मस्टररोल नं0/जारी करने की तिथि	कार्य का विवरण	मजदूर का नाम	मस्टर रोल में दर्ज क्रम सं0	जितने दिनों के लिये भुगतान किया गया	उपस्थिति की वास्तविक तिथियां/अपेक्षित भुगतान के दिन	जितने दिनों हेतु अधिक भुगतान किया गया	दर	अधिक भुगतान की गई राशि
10-4-15	30	1370/ 04-12-14	विनोद के घर से बोये तक गन्दा नाली का निर्माण	कलमजिन	10	14	4-12-14 से 13-12-14 /10 दिन	04	212.50	850
10-4-15	30	1370/ 04-12-14	यथोपरि	ज्ञानमणी	11	14	4-12-14 से 13-12-14 /10 दिन	04	212.50	850

10-4-15	30	1370/ 04-12-14	यथोपरि	सलोचना	12	13	4-12-14 से 13-12-14 /10 दिन	03	212.50	638
15-1-16	35	6521/ 07-7-15	जाठु के घर से शिवदेव के घर तक गन्दा नाली का निर्माण	बिन्दुदेवी	08	18	13-7-15 से 23-7-15 /11 दिन	7	212.50	1487
कुल :-										`₹3825

11 **निर्माण कार्यों ₹40.37 लाख से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को जाँच हेतु अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत न करना:–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण **"परिशिष्ट – ज पाद टिप्पणी-3"** में दर्शाये गये भुगतान ₹4036599 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुल्नात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

12 **वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में आय – व्यय का वर्गीकृत सार तैयार करना अपेक्षित है अर्थात मद वार पृथक पन्ने पर एक भाग में आय और दूसरे भाग में व्यय की लेन – देन के अनुसार प्रविष्टियां की जायेंगी तथा मासिक प्रगतिशील योग किया जायेगा । इस सार को बनाने का उद्देश्य आय – व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखना है । जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर का निर्माण किया जाये ।

13 **अदायगी आदेश के बिना भुगतान करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 49(1) व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिये नकद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुये संयुक्तत: हस्ताक्षरित या आद्याकक्षरित नहीं किया जाता है।

भुगतान वाउचरों की जांच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही आपतिजनक भी है । अत: इस सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सभी प्रमाणकों पर नियमानुसार भुगतान आदेश अंकित करने के उपरांत ही अदायगी सुनिश्चित की जाये ।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भंडार का प्रत्येक छ: महीने बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करायें ।

15 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है। समस्त लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गया है ।

16 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्कता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(ix) 7/2018 खण्ड–1–2605–2608 दिनांक12.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर, जिला किन्नौर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत चगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881